

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-66आर/2011)(लिंक नं. 9687)/अलेसे-II/ दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्री मनोहर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, (मेरिट नं 66आर/2011, लिंक नं.- 9687) कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा को दिनांक 03.07.2017 से 07.07.2017 तक (05 दिवस) राजस्थान सेवा नियमो के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कुल 05 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री मनोहर लाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-66आर/2011)(लिंक नं. 9687)/अलेसे-II/ दिनांक:- 15.03.19.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा को उनके पत्र क्रमांक 883 दिनांक 23.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री मनोहर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

उपनिदेशक ACP (मुख्य) कार्यालय